

TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES**

NEW DELHI, THE 31.8. 1999

**NOTIFICATION
(INCOME TAX)**

S.O. No. In exercise of the powers conferred by the sub-clause (v) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Gurudwara Bara Sikh Sangat, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1997-98 to 1999-2000 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.


(SAMAR BHADRA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

NOTIFICATION NO. 11054

(F.NO. 197/74/98-ITA-I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden) New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग ११ खण्ड ३ उपखण्ड १११ में प्रकाशनाई

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक ३ अगस्त, १९९९

अधिसूचना

आयकर

आयकर अधिनियम, १९६१ का ४३ की धारा १० के उपखण्ड २३-ग के उपखण्ड १८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "गुल्दारा बाढ़ा सिंधु संगत, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष १९९७-९८ से १९९९-२००० तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- i. कर-निर्धारित इसकी आय का वर्तमान अथवा इसकी आय का वर्तमान करने के लिए इसका संयोजन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए होगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है।
- ii. कर-निर्धारित अपर-उत्प्लवित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा ११ की उपधारा ५ में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक टंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि/लेबर-जवाबदारी, फर्निचर आदि के समूह प्राप्त तथा रत-रहाव में स्वेच्छिक व्ययान से भिन्न का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा।
- iii. यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिमान के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारित के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में कानून से निवारण-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों।

समर मंड

समर मंड

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० ११५५ फा० सं० १९७७/७८-आयकर-वि०-११

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र

राजगोरी गार्डन के समीप नई दिल्ली।